न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/62/2023	2023/343	26–07–2023	07.02.2024

1. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर। (राजस्थान)

–प्रार्थी

बनाम

1. मै0 अग्रवाल केटर्स, प्रो0 विनोद अग्रवाल, 31 बी साहब जोहडा,शक्ति नगर, अलवर जिला अलवर (राजस्थान)

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 46 गैस सिलेण्डर 19 किग्रा (4 भारत के एवं 42 इण्डेन) 1 बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 28 बडे एवं 9 छोटे रेग्यूलेटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री हरिप्रसाद(प्रवर्तन अधिकारी,अलवर) – विभागीय प्रतिनिधि
2. श्री भानू प्रताप सिंह – वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 46 गैस सिलेण्डर 19 किग्रा (4 भारत के एवं 42 इण्डेन) 1 बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 28 बडे एवं 9 छोटे रेग्यूलेटर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 ए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 01.02.2023 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं हरिप्रासद, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी,श्री विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी, प्रशान्त यादव, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक व्यावसायिक सिलेण्डर के दुरूपयोग की जांच हेतु श्री राजेन्द्र का मकान शालीमार बाग के पीछे, कंगालहाथा, कटी घाटी, अलवर पर पहुंचे। मौके पर मै0 अग्रवाल केटर्स, प्रो0 विनोद अग्रावल, 31 बी साहब जोहड़ा शक्ति नगर, अलवर द्वारा अवैध रूप से भण्डारण किये गये 46 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर 19 किग्रा(4भारत के एवं 42 इण्डेन) 1 बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 28 बडे एवं 9 छोटे रेग्यूलेटर मिले। श्री विनोद अग्रवाल द्वारा व्यावसायिक सिलेण्डरों के भण्डावरण बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री विनोद अग्रावाल के द्वारा व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रेलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 46 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर 19 किग्रा (4 भारत के एवं 42 इण्डेन) 1 बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 28 बडे एवं 9 छोटे रेग्यूलेटर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर फर्द तलपट्टी बनाई गई एवं सभी 46 गैस सिलेण्डरों का वजन करने पर इसमें 05 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर खाली पाये गये एवं शेष 41 सिलेण्डरों में कम गैस होना पाया गया। उपरोक्तानुसार 46 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर 19 किग्रा (4 भारत के एवं 42 इण्डेन) 1 बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 28 बडे एवं 9 छोटे रेग्यूलेटर को जब्त सरकार करते हुए अभिग्रहित किया गया एवं सुरक्षा तथा साक्ष्य की दृष्टि से फर्म मै0 अंबेश गैस एजेंसी, जिला अवलर के प्रतिनिधि को सुपुर्दगी में दिये गये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

जब्त किये गये सभी सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रम संख्या	तेल कम्पनी का नाम	गैस सिलेण्डर के एस.आर.न0	टेयर वेट (किग्रा में)	ग्रोस वेट (किग्रा में)	नेट वेट (किग्रा में)
1.	इण्डेन	105461	19.700	28.700	9.00
2.	इण्डेन	296498	19.300	30.800	11.500
3.	इण्डेन	51659	19.200	24.700	5.500
4.	इण्डेन	76413	19.000	30.200	11.200
5.	इण्डेंन	16428	19.400	28.000	8.600
6.	इण्डेन	59271	19.200	32.700	13.500
7.	इण्डेन	8857	19.900	28.700	8.800
8.	इण्डेन	19551	19.200	33.400	14.200
9.	इण्डेन	cm/L 266	19.300	24.000	4.700
10.	इण्डेन	156593	19.600	30.000	10.400
11.	इण्डेन	116597	19.000	27.000	8.000
12.	इण्डेन	9565	19.200	19.300	0.100
13.	इण्डेन	35821	19.600	36.400	16.800
14.	इण्डेन	21769	19.300	25.000	5.700
15.	इण्डेन	48176	19.200	28.400	9.200
16.	इण्डेन	3270	19.300	36.800	17.500
17.	इण्डेन	58210	19.100	27.000	7.900
18.	इण्डेन	17285	19.100	26.000	7.900
19.	इण्डेन	319813	19.200	27.300	8.100
20.	इण्डेन	4742	19.100	25.000	5.900
21.	इण्डेन	19613	19.300	29.300	10.000
22.	इण्डेन	3780	19.200	23.700	4.500
23.	इण्डेन	11116	19.400	20.400	1.000
24.	भारत गैस	0651	19.100	19.300	0.200
25.	भारत गैस	6011	19.100	23.400	4.400
26.	इण्डेन	1806	19.100	39.800	20.700
27.	इण्डेन	88556	19.200	24.400	5.20
28.	इण्डेन	38637	19.200	19.200	0.000
29.	इण्डेन	12673	19.100	19.100	0.000
30.	इण्डेंन	51262	19.100	19.100	0.000
31.	इण्डेन	39993	19.200	28.300	9.100
32.	इण्डेन	03950069	19.300	28.200	8.900
33.	इण्डेन	36978	18.700	26.300	7.600
34.	इण्डेन	8809	19.100	24.600	5.500
35.	इण्डेन	993445	19.400	23.300	3.900
36.	इण्डेन	291245	19.600	25.400	5.800
37.	इण्डेन	10.514	18.900	18.900	0.000
38.	भारत गैस	30166	19.200	23.300	4.100
39.	भारत गैस	8048	19.200	23.600	4.400
40.	इण्डेन	15.09	19.100	25.600	6.500
41.	इण्डेन	01450	18.700	29.900	11.200
42.	इण्डेन	0111	19.000	25.600	6.600
43.	इण्डेन	DA055	19.300	25.400	6.100
44.	इण्डेन	200563	19.200	25.800	6.600
45.	इण्डेन	578068	19.100	24.500	5.400
46.	इण्डेन	42276	18.700	18.700	0.000

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 46 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों 19 किग्रा (4 भारत के एवं 42 इण्डेन) 1 बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 28 बडे एवं 9 छोटे रेग्यूलेटर को राजसात करने की कृपा करे।

अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी फर्म द्वारा मैरिज होम एवं कैटरिंग का कार्य किया जाता है। श्रीमान द्वारा जारी नोटिस में जिन 46 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का उल्लेख किया गया है, वे सभी व्यावसायिक गैर सिलेण्डर वैधानिक रूप से जर्ये बिल खरीद किए गए हैं। जिनके बिलों की फोटो प्रति संलग्न जवाब की जा रही है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

S.NO	Bill No.	Date	No. of cylinder	Name of Caterers	Name of Gas Dealer
1	194	30-01-2023	05	Shree Ji Caterers	Govind Gas, Alwar
2	195	30-01-2023	05	Utsav Caterers	Govind Gas, Alwar
3	196	30-01-2023	06	Jey Krishana Club	Govind Gas, Alwar
4	197	30-01-2023	05	Ganesh Chat	Govind Gas, Alwar
5	198	30-01-2023	05	New Gupta,s Marriage VVent	Govind Gas, Alwar
6	199	30-01-2023	05	Agarwal Caterers	Govind Gas, Alwar
7	200	30-01-2023	05	Devender Rathore	Govind Gas, Alwar
8	201	30-01-2023	06	Friends Caterers	Govind Gas, Alwar
9	ND417	30-09-2022	05	Kalyan Caterers	Alwar Gases, Alwar

उपरोक्त वर्णित सभी फर्मों द्वारा शादी–विवाह आदि में कैटरिंग का कार्य किया जाता है। दिनांक 30.01.2023 को उपरोक्त सभी फर्मों द्वारा मैसर्स गोविन्द गैस सर्विस, अलवर से व्यावसायिक गैस सिलेण्डर खरीद किए गए थे। अप्रार्थी द्वारा खरीद किए गए व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को मैसर्स गोविन्द गैस सर्विस का डिलीवरी वाहन अप्रार्थी के घर के पास डिलीवरी दे रहा था, जिस कारण सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त वर्णित सभी व्यावसायिक गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के घर में रखवा लिए गए। जिन्हें सभी फर्मों द्वारा अपने अपने प्रतिष्ठानों में ले जाया जाना था। अप्रार्थी द्वारा व अन्य किसी भी फर्म द्वारा अवैधानिक तरीके से व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का भण्डारण नहीं किया गया है तथा न ही कानून की अवहेलना की गई है। अप्रार्थी के घर में पुराने छोटे व बड़े रेगुलेटर थे, जिन्हें भी जब्त किया गया है। उक्त सभी रेगुलेटर कानूनी रूप से रखे हुए थे। अप्रार्थी समस्त कानून कायदों की पूर्णरूपेण पालना करता है तथा अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से उक्त व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का अन्य कोई उपयोग उपभोग नहीं किया जाता है। अप्रार्थी व अन्य फर्मों को विवाह व अन्य उत्सवों में कैटरिंग के लिए उपरोक्त व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों की अत्यन्त आवश्यकता है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए अप्रार्थी विधिक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अप्रार्थी फर्म को नोटिस के भार से मुक्त फरमाया जाकर उपरोक्त गैस सिलेण्डरों को अप्रार्थी को दिये जाने की आज्ञा फरमावे।

विभागीय प्रतिनिधि/अप्रार्थी विद्वान वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में वर्णित तथ्यो से जाहिर है, कि मौके पर सभी 46 गैस सिलेण्डरों का वजन करने पर इसमें 05 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर खाली पाये गये एवं शेष 40 आंशिक भरे हुए सिलेण्डरों व 01 भरा हुआ व्यावसायिक सिलेण्डर होना पाया गया। इतनी मात्रा में एक ही फर्म के पास अलग–अलग फर्मों के नाम से व्यावसायिक सिलेण्डर पाया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कुल सिलेण्डरों की संख्या 47 बतायी गयी है, जबकि जब्त किये गये व्यावसायिक सिलेण्डरों की संख्या 46 है। उक्त सिलेण्डर ना तो पूरी तरह भरे हुए थे, ना ही पूरी तरह खाली थे। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त व्यावसायिक सिलेण्डरों की डिलीवरी ली गई हो या उक्त सिलेण्डरों को जिनमें गैस विद्यमान थी, को गैस कंपनी को दिया जा सकता है। अगर गैस कंपनी द्वारा उक्त व्यावसायिक सिलेण्डर डिलीवर्ड किये हुए होते तो उन सिलेण्डरों पर सील पायी जाती एवं भार भी पूर्ण पाया जाता, जबकि जब्त किये गये व्यावसायिक सिलेण्डरों में से कुल सिलेण्डर खाली पाए गए, कुछ सिलेण्डरों में आंशिक गैस पाई गई एवं कुछ सिलेण्डरों में 8, 10, 11, 17, 16 किग्रा तक गैस

...कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

की मात्रा पायी गयी, जिससे यह जाहिर होता है कि उक्त सिलेण्डर अप्रार्थी द्वारा उपयोग उपभोग में लिये जा रहे थे, जिससे मैसर्स अग्रवाल कैटर्स द्वारा उक्त व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण पाया जाना साबित होता है। अप्रार्थी द्वारा प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जब्त किये गये एक बांसुरी (गैस रिफलिंग यंत्र) एवं 28 बड़े व 09 छोटे रेग्यूलेटर भी जब्त किये गये हैं। उक्त बाबत् भी अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया है। यदि उक्त रेग्यूलटर उन फर्मों के होते, जिनका अप्रार्थी द्वारा जिक्र किया गया है तो वो अप्रार्थी के यहां नहीं पाये जाने चाहिए एवं एक बांसुरी (गैस रिफलिंग यंत्र), जो सिलेण्डर में पायी जाने वाली गैस को खाली सिलेण्डरों में भरने के काम आती है, का मिलना यह साबित करता है कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से गैस रिफलिंग का कार्य भी किया जाता है। उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 46 गैस सिलेण्डर 19 किग्रा (4 भारत के एवं 42 इण्डेन) 1 बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 28 बडे एवं 9 छोटे रेग्यूलेटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है, कि जप्तशुदा 46 गैस सिलेण्डर 19 किग्रा (4 भारत के एवं 42 इण्डेन) 1 बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 28 बडे एवं 9 छोटे रेग्यूलेटर सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करे। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7.2.24

(मुरारी लाल शर्मा)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) * अलवर (राज०) *